

न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-618 / 2011

संस्थित दिनांक-19.08.11

फाईलिंग क.234503001692011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **परिवादी**

// विरुद्ध //

राकेश वल्द गौतम सिंह तेकाम, उम्र-27 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मोहरई, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// निर्णय //

(आज दिनांक-15 / 06 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51(सी) एवं सहपठित धारा-9 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-23.04.11 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कक्ष क्रमांक-113, कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी जंगली लंगूर को बस द्वारा टक्कर मारकर उसका शिकार किया।

2— परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-22.04.11 को भैंसानघाट बैरियर के पास जैन बंधु ट्रेवल्स चिल्पी की एक बस क्रमांक-सी.जी-04 / ई-1273 जो गढ़ी से भैंसानघाट की ओर आ रही थी, ने एक जंगली मादा लंगूर (प्रेसवाईटिस एण्टेलुस) को पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ से कक्ष क्रमांक-113 कान्हा नेशनल पार्क में आते समय बस के पिछले चके से टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की। उपरोक्त आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-3001 / 01 काटा गया। आरोपी पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम

1972 (संशोधित 2003-2006) की धारा-2(1), (16) (ग) (20) (36), 9, 27, 35(6)(8), 39(1)(घ) एवं सहपठित धारा-50, 51, 52 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51(सी) एवं सहपठित धारा-9 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-23.04.11 को वन परिक्षेत्र भैसानघाट कक्ष क्रमांक-113, कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी जंगली लंगूर को बस द्वारा टक्कर मारकर उसका शिकार किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- गोर्वधन लाल कुरवेती (प.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.04.11 को परिक्षेत्र भैसानघाट वृत्त कुगांव में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे वायरलेस के माध्यम से वनरक्षक कु. लक्ष्मी मेरावी सरई टोला द्वारा सूचना दी गई कि एक जंगली लंगूर का बस से एक्सीडेन्ट हो गया है। उक्त सूचना के पश्चात् उसने उसे घटनास्थल जाने के लिए कहा। उसके निर्देश पर जप्ती की कार्यवाही वनरक्षक द्वारा आरोपी से की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनरक्षक कु. लक्ष्मी मेरावी द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक-3001/01 उसके समक्ष काटा गया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

जप्तशुदा माल की सूची वनरक्षक लक्ष्मी मेरावी ने उसके समक्ष तैयार की थी। उक्त सूची प्रदर्श पी-3 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— साक्षी ने सभी साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गए थे और आरोपी राकेश टेकाम के बयान लिये गए थे, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कु. लक्ष्मी मेरावी (प.सा.1) के बयान प्रदर्श पी-4 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। ज्ञानदास के बयान प्रदर्श पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नैनसिंह के बयान प्रदर्श पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। हरिप्रसाद के बयान प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा माल का सुपुर्दनामा वनरक्षक लक्ष्मी मेरावी को दिया गया था, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृत बंदर के शव के दाह संस्कार का पंचनामा प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहों के समक्ष मृत बंदर के शव को जलाने का पंचनामा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्ती की कार्यवाही उसने नहीं की। बचाव के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने लंगूर को वाहन को टकराते हुए अथवा दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखा।

8— उमेश सिंह नेती (प.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.04.11 को परिक्षेत्र भैंसानघाट में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक 19.08.11 को पी.ओ.आर. क्रमांक-3001/01 दिनांक-22.04.11 की विवेचना उपरान्त समस्त दस्तावेज जांच हेतु उसके समक्ष रखे गए थे। दस्तावेजों की सत्यता उपरान्त उसके द्वारा आरोपी राकेश के विरुद्ध में प्रदर्श पी-14 का परिवादपत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया था, जिसके ए से

ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं प्रदर्श पी-1 से लगायत प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-7 से लगायत प्रदर्श पी-13 के जी से जी भाग पर प्रतिहस्ताक्षर किये थे एवं प्रदर्श पी-15 से लगायत प्रदर्श पी-18 के ए से ए भाग पर उसके प्रतिहस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-19 एवं प्रदर्श पी-20 के माध्यम से आरोपी राकेश की गिरफ्तारी की सूचना थाना प्रभारी गढ़ी एवं आरोपी के रिश्तेदार को दी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आवेदन प्रदर्श पी-21 के माध्यम से मृत लंगूर का पोस्टमार्टम हेतु पशु चिकित्सक बैहर को प्रेषित किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

9— नैनसिंह यादव (प.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.04.11 को भैंसानघाट बेरियर में वेतन भेगी कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। उक्त दिनांक को लगभग 12:00 बजे ग्राम छिल्पी से बैहर आने वाली बस से एक मादा लंगूर की भैंसानघाट बेरियर से कुछ दूरी पर टक्कर हुई थी। लंगूर बस के पीछे के टायर से टकरा गया था। बस को घटना के समय आरोपी राकेश टेकाम चला रहा था। वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-15 उसके सामने बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मृत मादा लंगूर एवं बस तथा बस के दस्तावेज जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर की कार्यवाही नहीं की गई थी। उसके समक्ष आरोपी राकेश टेकाम ने अपना कथन दिया था। प्रदर्श पी-5 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी राकेश टेकाम ने अपने कथन में बस के पिछले टायर से जंगली लंगूर के टकराने वाली बात बताई थी। दुर्घटना के समय गाड़ी आरोपी राकेश ही चला रहा था। उसके समक्ष लक्ष्मी मरावी के कथन प्रदर्श पी-4 हुए थे, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना कथन प्रदर्श पी-7 परिक्षेत्र सहायक को दिया था और बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे।

10— उक्त साक्षी के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उसके समक्ष श्रमिक हरिप्रसाद के कथन हुये थे, जो प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव विच्छेदन पंचनामा प्रदर्श पी-11 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने कहा है कि यदि वाहन चालक सावधानी से वाहन चलाता तो दुर्घटना नहीं होती। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी ने असावधानी से वाहन चलाया था, इसलिए दुर्घटना हुई।

11— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह बैरियर जो कि 50 मीटर दूर है पर था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पंचनामा प्रदर्श पी-15 को पढ़ा नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना में बस चालक आरोपी राकेश की गलती नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बैरियर होने से वाहन धीमी गति से चल रहा था और बस के पिछले टायर से लंगूर आकर टकरा गया था, इसलिए दुर्घटना हुई थी।

12— ज्ञानदास (प.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.04.11 को परिक्षेत्र कार्यालय कुगांव में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वह सूचना मिलने पर परिक्षेत्र सहायक कुगांव के साथ घटनास्थल गया था तो देखा कि लंगूर की मृत्यु बस से टकराने के कारण हो गई थी। जिस बस से लंगूर को टक्कर लगी थी, उसका चालक राकेश टेकाम था। उसके समक्ष प्रदर्श पी-15 का मौके का पंचनामा की कार्यवाही की गई थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने परिक्षेत्र सहायक को अपना बयान दिया था, जो प्रदर्श पी-06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी राकेश की गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 की कार्यवाही की गई थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मृत लंगूर के शव विच्छेदन की कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी-11 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि आरोपी वाहन को सावधानीपूर्वक नहीं चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जहां दुर्घटना हुई, वहां सामने

बेरियर होने से वाहन धीमी गति से चल रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी की गलती से दुर्घटना नहीं हुई।

13— हरिप्रसाद धुर्वे (प.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी राकेश को जानता है। घटना दिनांक-22.04.11 की लगभग दिन के 12:00 बजे भैसानघाट बेरियर से 50 मीटर दूरी पर गेट के पास की है। आरोपी राकेश ने बस से लंगूर को पिछले पहिये से टक्कर मार दी थी। आरोपी से गाड़ी का लायसेंस, चाबी, गाड़ी के कागजात जप्त किये गए थे। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया था कि एक्सीडेंट कैसे हुए यह उसे समझ में नहीं आया। आरोपी राकेश से डिप्टी साहब के समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी। कक्ष क्रमांक-113 भैसानघाट बेरियर से जप्ती हुई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा माल की सूची उसके समक्ष वनरक्षक लक्ष्मी के द्वारा तैयार की गई थी। जप्तशुदा माल की सूची प्रदर्श पी-3 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ओ.आर क्रमांक-3001/01, दिनांक-22.04.11 उसके समक्ष काटा गया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी का बयान प्रदर्श पी-5 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि उसके समक्ष वन सेविका लक्ष्मी मेरावी के द्वारा कोई बयान दिया गया था या नहीं।

14— उक्त साक्षी के समक्ष साक्षी नैनसिंह (प.सा.4) के बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी-7 है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 बनाया गया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-15 बनाया गया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने कहा है कि आरोपी राकेश ने बताया था कि धोखे से लंगूर बस के पिछले चके से टकरा गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने

दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि लंगूर बस के पिछले चके से टकराया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि समस्त कार्यवाही वनरक्षक लक्ष्मी मेरावी ने की थी। कोई अधिकारी कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित नहीं था।

15— कुमारी लक्ष्मी मेरावी (प.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.04.11 को वनरक्षक के पद पर सरईटोला कैम्प में पदस्थ थी। उसे वायरलेस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जंगली लंगूर का बस द्वारा एक्सीडेंट हो गया है। सूचना के पश्चात् वह घटनास्थल पहुंची, जहां उसने देखी कि एक जंगल लंगूर कक्ष क्रमांक-113 में मृत पड़ा हुआ था। उक्त कक्ष क्रमंक के गेट प्रभर से जानकारी प्राप्त हुई कि चिलपी से बैहर जाने वाली जैनबंधू बस क्रमांक-सी.जी-04/ई-1273 से टकराकर जंगली लंगूर की मृत्यु हो गई थी। मौके पर बस चालक राकेश तेकाम उपस्थित था। आरोपी राकेश से उसने बस के कागजात, चाबी तथा चालक का लायसेंस जप्त किया था तथा आरोपी से एक मृत मादा लंगूर भी जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर काटा था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा माल की सूची तैयार की गई थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-4 डिप्टी रेंजर को दी थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे दुर्घटना की सूचना वायरलैस पर प्राप्त हुई थी और उसने दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखी।

16— अशोक अग्निहोत्री (प.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसे लगभग बीस वर्षों से वाहन चलाने का अनुभव है। उसने सी. जी-04/ई-1273 का मैकेनिकल परीक्षण किया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने वाहन के सभी पार्ट्स ठीक होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श

पी-16 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— आशीष वैद्य (प.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-22.04.2011 को पशु चिकित्सालय विभाग बैहर में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक जंगली बंदर(मादा) का शव परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण के दौरान उसने पाया कि उसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ था एवं आंत बाहर की ओर निकली हुई थी और पिछला दाहिना पैर भी टूटा हुआ था। इस तरह से शव, क्षत-विक्षत अवस्था में था। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि उसके द्वारा उक्त पशु की मृत्यु होने का कारण किसी ठोस वस्तु द्वारा बल पूर्वक लगने से हुई हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी द्वारा दिनांक-23.04.11 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कक्ष क्रमांक-113 कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में वन्य प्राणी लंगूर को बस से टक्कर मारकर उसका शिकार किया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 की धारा-2(16) के अनुसार व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित "आखेट" के अंतर्गत किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न, किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फांसना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न, किसी ऐसे प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, या नष्ट कना या लेना अथवा वन्य पक्षियों या सरीसृपों की दशा में ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों को नुकसान पहुंचाना अथवा ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों या घोंसलों को गड़बड़ाना। इस प्रकार यदि परिभाषा पर विचार किया जावे तो वन्य प्राणी को सआशय मारना अथवा मारने का प्रयास करना शिकार के अंतर्गत आता है।

19— प्रकरण में साक्षी गोवर्धनलाल (प.सा.2) ने यह कहा है कि उसे वनरक्षक कुमारी लक्ष्मी मेरावी ने सूचना दी थी कि बस से टकराने से लंगूर की मृत्यु हुई है, जिसके पश्चात् उसने मौके पर जाकर कार्यवाही की थी। कुमारी

लक्ष्मी मेरावी (प.सा.1) ने कहा है कि उसे वायरलैस पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। उपरोक्त साक्षियों ने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। मौके पर उपस्थित साक्षी नैनसिंह (प.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बैरियर होने से आरोपी वाहन को धीरे चला रहा था एवं दुर्घटना बस चालक आरोपी राकेश की गलती नहीं थी। मौके पर ही उपस्थित अन्य साक्षी ज्ञानदास (प.सा.5) ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटना में आरोपी राकेश की गलती नहीं थी। उपरोक्त साक्षियों के अतिरिक्त साक्षी हरिप्रसाद प.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि दुर्घटना बस के पिछले चके से हुई थी। इस प्रकार यदि परिवादी साक्षियों के कथनों पर विचार किया जावे तो बस चालक द्वारा वाहन को सामान्य क्रम में चलाया जा रहा था। सामने 50 मीटर पर बैरियर होने से यह भी आशय निकाला जा सकता है कि बस अत्यन्त तेज गति से अथवा लापरवाहीपूर्वक नहीं चल रही थी। लंगूर के बस के पिछले चके से टकराने से उसकी मृत्यु दुर्घटनावश हो गई थी। आरोपी द्वारा आशय पूर्वक लंगूर को शिकार करने के उद्देश्य से टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की गई थी, यह बात अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहा है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51(सी) एवं सहपठित धारा-9 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

20— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

21— प्रकरण में आरोपी दिनांक-23.04.2016 से दिनांक-06.05.2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा मिनी बस क्रमांक-सी.जी.04/डी.ए.1273 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार श्रीमती शारदा देवी जैन पति श्री प्रकाशचंद जैन, निवासी-ग्राम भीमडोंगरी, थाना मोतीनाला, तहसील बिछिया, जिला मण्डला(म.प्र.) को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात्

उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।
मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

बैहर
दिनांक 15.6.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,
बैहर, म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)